बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

विषय :–नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अधीन नगर निकायों में पदस्थापित पदाधिकारियों हेतु iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर अनिवार्य प्रशिक्षण।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक क्षमता संवर्द्धन एवं दक्षता उन्नयन के उद्देश्य से तथा भारत सरकार की "मिशन कर्मयोगी" पहल के अनुरूप यह निर्णय लिया है कि बिहार नगर सेवा (BNS)/बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग/बिहार लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन संवर्ग/बिहार नगरपालिका नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक संवर्ग के सभी पदाधिकारियों के लिए iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर चिन्हित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाय।

2. प्रयोज्यता :

यह आदेश नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अधीन नगर निकायों में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों पर लागू होगा, जिसमें परिवीक्षाधीन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

3. पंजीकरण :

जिन पदाधिकारियों ने अभी तक iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, वे इस आदेश के निर्गमन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर अपने शासकीय ई–मेल/अधिकारिक विवरण के माध्यम से पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

4. अनिवार्य पाठ्यक्रम :

पदाधिकारियों को निम्नलिखित पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे –

(a) बिहार नगर सेवा के पदाधिकारियों से संबंधितः–

(i) Augmentation of Municipal Revenue

(ii) Municipal Financing in India

(iii) Introduction to Municipal Bonds

(iv) Municipal Goverance for Administrators 1 & 2

(v) नगरीय प्रशासन संबंधी प्रक्रिया नियमावली

(b) बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग के पदाधिकारियों से संबंधितः–

(i) Effictive Management of Urban Services in Cities through ICCC

(ii) Municipal Financing in India

(iii) Audit of Urban Local Bodies

(iv) Problem in Solving & Decision Maker by Dopt.

(v) Strengthening Property Tax Systems for Revenue Agrument

(c) बिहार लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन संवर्ग के पदाधिकारियों से संबंधितः–

(i) Introduction of Municipal Solid Waste Management

(ii) Co- treatment of faecal sludge & Septage with sewage at STP

(iii) Electronics waste Management in India

(iv) Aspects of decentralised Wastewater Management

(v) Introduction to Circular Economy

(d) बिहार नगरपालिका नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक संवर्ग के पदाधिकारियों से संबंधितः–

(i) Understanding Urbanisation in India

(ii) PM Gatishakti for Efficient infrastructure Planning and Development

(iii) Urban Planning, Development & Climate Change

(iv) Green Infrastructure & Development

(v) PPP for Infrastructure Projects

5. समय–सीमा :

(i) कम से कम तीन पाठ्यक्रमों का संपादन मार्च, 2026 तक किया जाएगा।

(ii) इसके पश्चात प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम 52 घंटे का ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. अनुपालन एवं अनुश्रवण :

(i) संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रशिक्षण की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

(ii) जिला पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने को सुनिश्चित कराएंगे।

(iii) पूर्ण किए गए प्रशिक्षणों का विवरण वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR)/ कार्य निष्पादन मूल्यांकन में सम्मिलित की जाएगी तथा इसके आधार पर अंक प्रदान किए जाऐंगे।

7. अनुपालन नहीं करने की स्थिति :

निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रशिक्षण पूर्ण न करने की स्थिति में, बिना उचित कारण के, संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की जा सकती है तथा पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण अथवा अन्य कैरियर उन्नयन अवसरों में इसे विचारधीन रखा जा सकता है।

8. नोडल पदाधिकारी :–

श्री मृत्युंजय कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभाग स्तर पर iGOT कर्मयोगी पोर्टल हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है, जो आवश्यक मार्गदर्शन एवं समन्वय सुनिश्चित करेंगे। तकनीकी सहयोग हेतु श्री पंकज कुमार (9835431807) आई0टी0 मैनेजर, श्री सोनल प्रियदर्शी, प्रोग्रामर (9471889128) एवं श्री सूरज कुमार, प्रोग्रामर (8434796289), नगर विकास एवं आवास विभाग को नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(राजीव रंजन तिवारी),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था0 (विविध)–25 / 2025 3616 **/ न0वि0एवं.आ0वि0 / पटना, दिनांक–** 25/03/26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव / श्री विजय प्रकाश मीणा, अपर सचिव / श्री मनोज कुमार, अपर सचिव / श्री मृत्युंजय कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी / श्री राजीव रंजन तिवारी, उप सचिव / श्री रंजन कुमार चौधरी, उप सचिव / श्री राजेश्वर राज, अवर सचिव / श्री राशिद इकबाल, अवर सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 09, 10 एवं 13 / श्री पंकज कुमार, आई0टी0 मैनेजर / श्री सोनल प्रियदर्शी, प्रोग्रामर / श्री सूरज कुमार, प्रोग्रामर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / कार्यपालक पदाधिकारी / नगर प्रबंधक / सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी / सहायक टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक, सभी नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/03/2026

सरकार के उप सचिव।